रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2011/ज्येष्ठ 13, 1933

No. 295] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2011/JYAISTHA 13, 1933

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2011

सा.का.नि. 431(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2007 के अधिक्रमण में इन बातों के सिवाय, जिन्हें इस अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया, एतद्द्वारा विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में पासपोर्ट अधिकारी, उप-पासपोर्ट अधिकारी और सहायक पासपोर्ट अधिकारी (समूह "क" पद) के पदों की भर्ती के तरीके को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन, (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. **अनुप्रयोज्यता.**—ये नियम इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे ।

4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे ।

5. **निरर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का करार किया है जिसकी पति/पत्नी जीवित है; अथवा

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह किया या विवाह का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह है कि यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे विवाह की व्यक्ति और दूसरे पक्षकार के संबंध में लागू पर्सनल लॉ के अन्तर्गत अनुमति है और ऐसे विवाह के लिए दूसरे आधार विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है ।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा किया जाना जरूरी या अपरिहार्य है, तो वह आदेश पारित करके लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी के प्रवर्तन में छूट प्रदान कर सकती है ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में कही गयी कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैण्ड, ग्रेड पे व वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. पासपोर्ट अधिकारी	17* (2011) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकेगी ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैण्ड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड पे 7600	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु व शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले मामलों में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

भर्ती का तरीका : सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामलों में किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(10)	(11)
70% पदों की भर्ती पदोन्नति द्वारा की जाएगी, जिन्हें ऐसा न हो पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा । 30% पदों की भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी।	**पदोन्नति :** केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के ऐसे उप-पासपोर्ट अधिकारी (पे बैण्ड-3, 15600-39100 + ग्रेड पे 6600) जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो । **टिप्पणी 1 :** जहाँ अर्हकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जा सकेगा, बशर्ते उनकी अर्हकारी/पात्रता सेवा ऐसी वांछित अर्हकारी/पात्रता सेवावधि के आधे अथवा दो वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर लेने वाले अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पणी 2 :** पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 या उस तिथि से पूर्व जबकि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई हो, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित समकक्ष ग्रेड पे या लागू वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करते हों; अथवा

(11)
(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड-3, 15600-39100 रुपए और ग्रेड पे 6600 रुपए के वेतनमान के पदों या सदृश पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों : (i) भारत में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री ; (ii) पासपोर्ट/कंसुलर/उत्प्रवासन/प्रशासन/सतर्कता कार्य में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1** : पदोन्नति की सीधी कतार में शामिल फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पणी 2** : उसी अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्गेतर पदों पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 4** : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाई गई उस ग्रेड पे अथवा वेतन में की गई सेवा मानी जाएगी, जहां पर सामान्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान सहित एक ग्रेड में एक संशोधन पूर्व वेतनमान का आमेलन किया गया है तथा जहां पर यह लाभ उस पद को हासिल होगा, जिसके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान बिना किसी अपग्रेडेशन के सामान्य रिप्लेसमेंट के अन्तर्गत आता है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?	जिन परिस्थितियों में भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह "क" पद पर पदोन्नति के संबंध में विचार किये जाने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य 2. सीपीवी प्रभाग के प्रभारी अपर सचिव, विदेश मंत्रालय —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, (कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा) तथा मुख्य पासपोर्ट अधिकारी —सदस्य 4. विदेश मंत्रालय में 2 संयुक्त सचिव —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप-पासपोर्ट अधिकारी	71* (2011) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैण्ड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड पे 6600 रु.	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

(10)	(11)
70% पदों की भर्ती पदोन्नति द्वारा की जाएगी, जिन्हें ऐसा न हो पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा । 30% पदों की भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी ।	**पदोन्नति :** केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहायक पासपोर्ट अधिकारी (पे बैण्ड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड पे 5400 रुपए) जिन्होंने इस ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो । **टिप्पणी 1 :** जहाँ अर्हकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जा सकेगा, बशर्ते उनकी अर्हकारी/पात्रता सेवा ऐसी वांछित अर्हकारी/पात्रता सेवावधि के आधे अथवा या दो वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है । **टिप्पणी 2:** पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित समतुल्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान में प्रदान की गई सेवा समझा जाएगा । **प्रतिनियुक्ति :** अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करते हों; अथवा (ii) जिन्होंने पे बैण्ड-3, (15600-39100 रुपए) एवं ग्रेड पे 5400 रुपए के वेतनमान के पदों अथवा मूल संवर्ग/विभाग में सदृश पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवावधि पूरी कर ली है । (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव हों :— (i) भारत में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री ; (ii) पासपोर्ट/कांसुलर/उत्प्रवासन/प्रशासन/सतर्कता कार्य में कम से कम एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी 1 :** पदोन्नति की सीधी कतार में शामिल फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पणी 2 :** उसी अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्गेतर पदों पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 4 :** प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाई गई उस ग्रेड पे अथवा वेतन में की गई सेवा मानी जाएगी, जहां पर सामान्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान सहित एक ग्रेड में एक संशोधन पूर्व वेतनमान का आमेलन किया गया है तथा जहां पर यह लाभ उस पद को हासिल होगा, जिसके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान बिना किसी अपग्रेडेशन के सामान्य रिप्लेसमेंट के अन्तर्गत आता है ।

(12)	(13)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (निम्नलिखित समेत पदोन्नति पर विचार करने के लिए :– 1. विदेश मंत्रालय में कोंसली पासपोर्ट एवं वीजा प्रभाग का अपर सचिव प्रभारी —सदस्य 2. विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा परियोजना) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी —सदस्य 3. विदेश मंत्रालय में 3 संयुक्त सचिव —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक पासपोर्ट अधिकारी	135* (2011) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकेगी।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	पे बैण्ड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड पे 5400 रुपए	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नत अधिकारियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
75% पदों की भर्ती पदोन्नति द्वारा की जाएगी, 25% पदों की भर्ती प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी।	**पदोन्नति :** केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी (पे बैण्ड-2, 9300-34800 रुपए+ ग्रेड पे 4800 रुपए), जिन्होंने इस ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो। अथवा पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी जिन्होंने पासपोर्ट प्रदाता अधिकारी एवं अधीक्षक पे बैण्ड -2, 9300-34800 रुपए+ ग्रेड पे 4600 रुपए) के ग्रेड में 4 वर्षों की सेवा पूरी की हो। **टिप्पणी 1** : जहाँ अर्हकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुकने वाले कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत किए जाने के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जा सकेगा, बशर्ते उनकी अर्हकारी/पात्रता सेवा ऐसी वांछित अर्हकारी/पात्रता सेवावधि के आधे या दो वर्ष, जो कम हो, से कम न हो और कनिष्ठों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **टिप्पणी 2**: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 या उस तिथि से पहले जिस तिथि को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया, प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित समतुल्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान में प्रदान की गई सेवा समझा जाएगा। **प्रतिनियुक्ति :** अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करते हों; अथवा (ii) जिन्होंने पे बैण्ड-2, (9300-34800 रुपए) + ग्रेड पे 4800 रुपए के वेतनमान के सदृश पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस ग्रेड में दो वर्षों की सेवा पूरी की हो; और

(11)

(ii) जिन्होंने इस ग्रेड में पे बैण्ड-2, (9300-34800 रुपए) + ग्रेड पे 4600 रुपए के वेतनमान के पदों अथवा मूल संवर्ग/विभाग में सदृश पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्षों की सेवा पूरी की हो ।

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :–

(i) भारत में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री;

(ii) पासपोर्ट/कांसुलर/उत्प्रवासन/प्रशासन/सतर्कता कार्य में कम से कम एक वर्ष का अनुभव;

टिप्पणी 1 : पदोन्नति की सीधी कतार में शामिल फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पणी 2 : उसी अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य संवर्गेतर पदों पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाई गई उस ग्रेड पे अथवा वेतन में की गई सेवा मानी जाएगी, जहां पर सामान्य ग्रेड पे अथवा वेतनमान सहित एक ग्रेड में एक संशोधन पूर्व वेतनमान का आमेलन किया गया है तथा जहां पर यह लाभ उस पद को हासिल होगा, जिसके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान बिना किसी अपग्रेडेशन के सामान्य रिप्लेसमेंट के अंतर्गत आता है ।

(12)		(13)
समूह "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार किये जाने के लिए) :–		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	
2. विदेश मंत्रालय में कांसुलर पासपोर्ट एवं वीजा मामलों के प्रभारी अपर सचिव	—सदस्य	
3. विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा परियोजना) तथा मुख्य पासपोर्ट अधिकारी	—सदस्य	
4. विदेश मंत्रालय में दो संयुक्त सचिव	—सदस्य	

[फा. सं. V.VI/801/1/2009]

मुक्तेश के. परदेशी, संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2011

G.S.R. 431(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Passport Officer, Deputy Passport Officer and Assistant Passport Officer (Group 'A' posts) in the Central Passport Organisation of the Ministry of External Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'A' Posts), Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the abovesaid posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Passport Officer	17*(2011) *(Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A', (Gazetted) Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 and Grade pay of Rs. 7600	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Seventy per cent by promotion failing which by deputation. Thirty per cent by deputation.	**Promotion :** Deputy Passport Officer (Pay Band-3 Rs. 15600-39100 and Grade pay of Rs. 6600) of the Central Passport Organization with five years' regular service in the Grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation :** Officers under the Central Government including officers of All India Services : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-3 Rs.15600—39100 and Grade pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's degree from a recognised University in India or Association of Indian Universities recognised degrees of foreign Universities; (ii) one year experience in Passport or Consular or Emigration or Administration or Finance or Accounts or Vigilance work. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

	(11)
	Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade which a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making reccruitment
(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion) consisting of—		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission	—Chairman	
2. Additional Secretary In-charge of Consular Passport and Visa Divisional in the Ministry of External Affairs	—Member	
3. Joint Secretary (Passport Seva Project) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs	—Member	
4. Two Joint Secretaries in the Ministry of External Affairs	—Members	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Passport Officer	71 *(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', (Gazetted) Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600—39100 and Grade pay of Rs. 6600	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Nil

2070 GI/11-3

(10)	(11)
Seventy per cent by promotion failing which by deputation, Thirty per cent by deputation.	**Promotion :** Assistant Passport Officer (Pay Band-3 Rs.15600-39100 and Grade Pay of Rs. 5400) of the Central Passport Organization with five years' regular service in the Grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation :** Officers under the Central Government including officers of All India Services : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-3 (Rs.15600-39100) and Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's degree from a recognised University in India or Association of Indian Universities recognised degrees of foreign Universities; (ii) one year experience in Passport or Consular or Emigration or Administration or Finance or Accounts or Vigilance work. **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st

(11)
January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale; and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for *considering promotion) consisting of* :— 1. Additional Secretary In-charge of Consular Passport and Visa Division in the Ministry of External Affairs —Chairman 2. Joint Secretary (Passport Seva Project) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs —Member 3. Three Joint Secretaries in the Ministry of External Affairs —Members	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Passport Officer	135*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non-Ministerial	Pay Band-3. (Rs. 15600-39100) and Grade Pay Rs. 5400	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for Promotees

(10)	(11)
Seventy-five per cent by promotion. Twenty-five per cent by deputation.	**Promotion :** 1. Passport Granting Officer in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4800 of the the Central Passport Organization with two years' regular service in the Grade failing which Pass-port Granting Officer with four years' combined regular service in the grades of Passport Granting Officer and Superintendent (Pay Band-2, Rs. 9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4600). **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith

(11)

their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :

Officers under the Central Government including officers of All India Services :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or

(ii) with two years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs.9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iii) with three years' service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-2 (Rs.9300-34800 and Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :

(i) Bachelor's degree from a recognised University in India or Association of Indian Universities recognised degrees of foreign Universities;

(ii) one year experience in Passport or Consular or Emigration or Administration or Vigilance work.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion) consisting of :—		Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission	—Chairman	
2. Additional Secretary In-charge of Consular Passport and Visa Division in the Ministry of External Affairs	—Member	
3. Joint Secretary (Passport Seva Project) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs	—Member	
4. Two Joint Secretaries in the Ministry of External Affairs	—Members	

[F. No. V. IV/801/1/2009]

MUKTESH K. PARDESHI, Jt. Secy. (PSP) and Chief Passport Officer

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.